97

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 1990—दो / 2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 01—05—2014 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 230 / अपील / 2008—09.

....

मिथलेश कुमारी उर्फ बोधवती पुत्री
स्व0 अयोध्या प्रसाद पयासी
निवासी ग्राम बरती तहसील रामपुर बघेलान
जिला सतना म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

गिरजा शरण पयासी तनय अयोध्या प्रसाद पयासी
निवासी ग्राम बरती तहसील रामपुर बघेलान
जिला सतना म0प्र0

——— अनावेदक

....

श्री सुनील गौतम, अभिभाषक, आवेदक
श्री विजय पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश
(आज दिनांक 06-04-18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01—05—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अन्तर्गत **अधिवक्ता की त्रुटि से तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है । जिसे निगरानी में परिवर्तित कर आदेश पारित किया जा रहा है।**

2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक गिरजा प्रसाद तनय अयोध्या प्रसाद निवासी बरती तहसील रामपुर ब्रघेलान द्वारा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109/110 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जाकर ग्राम फीफिर वृत्त छिबौरा की भूमि खसरा कमांक 145, 148, 150, 239, 243, 245, 246, एवं 247 कुल किता 8 जुमला रकवा 20.75 एकड़ की भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी बोधवती पुत्री स्व0 अयोध्या प्रसाद द्वारा नामांतरण करने की सहमति दी इस पर से इश्तहार जारी कर कोई आपत्ति नहीं आने पर नायव तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.9.06 को नामांतरण करने के आदेश जारी किये। इससे परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 27.02.09 के द्वारा प्रकरण नायब तहसीलदार को आदेश निरस्त करते हुये प्रत्यावर्तित किया गया इससे दुखित होकर अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 01.05.14 को अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना का आदेश निरस्त कर नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई थी इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता बहस के समय उपस्थित नहीं हुआ। निगरानी मेमों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है। आवेदक द्वारा मेमों में लेख किया गया है कि अनावेदक ने न्यायालय के समक्ष आवेदक को पक्षकार बनाते हुये एक नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत किया तथा आवेदक के झूठे व फर्जी शपथपत्र के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष फर्जी बयान दर्ज करवाकर हल्का पटवारी से फजी प्रतिवेदन प्राप्त करते हुये बिना किसी इश्तहार का प्रकाशन किये ही तहसील न्यायालय के कर्मचारियों व अधिकारयों से मिलकर आवेदक के स्वत्व आधिपत्य की भूमि को अपने मृत्यु के पूर्व ही दे दिया था किसी दूसरे को विचारण न्यायालय के समक्ष खड़ा करते हुये नामांतरण करवा लिया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आगे लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना द्वारा अपील प्रकरण में दिनांक 27.2.09 को आदेश पारित करते हुये यह मान्य किया कि रेस्पाडेन्ट व अपीलांट के पिता स्व0 अयोध्या प्रसाद ने अपने जीवन काल में ही प्रश्नाधीन भूमियों का नामांतरण अपीलांट के नाम करवा दिया था तथा अनावेदक को उक्त भूमियों का शपथ पत्र के

माध्यम से नामांतरण कराने का कोई हक व अधिकार नहीं था यह भी मान्य किया कि संपत्ति अन्तरण अधिनियम के अनुसार कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही कोई व्यक्ति विधिवत अन्तरण विलेख निष्पादित करने उपरंत ही धारा 109/110 के तहत नामांतरण करवा सकता हैं यह सर्वमान्य सिद्वांत है कि हक व अधिकारों का विनिश्चय सिविल न्यायालय द्वारा किया जाता हे राजस्व न्यायालय को किसी भी तरह हक के निर्धारण करने का अधिकार नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला संतना द्वारा यह भी मान्य किया गया कि हक का अन्तरण शपथपत्र के माध्यम से या किसी के मौखिक बयान के आधार पर नहीं बल्कि विधिवत रजिस्टर्ड अन्तरण विलेख के माध्यम से ही किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना द्वारा यह भी माना हे कि इस्तहार का प्रकाशन नहीं कराया गया है। आवेदक को कोई भी सूचना नहीं दी गई है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा बिना किसी तथ्य पर विचार किये ही अपील प्रकरण निरस्त कर दिया गया है। अंत में अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 1.5.14 निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उपरोक्त आराजियात पैत्रिक अयोध्या प्रसाद की आराजी थी जो उन्होंने अपने जीवनकाल में आवेदक बोधवती के नाम दर्ज कराई थी। उक्त आराजी बटवारे द्वारा बोधवती को नहीं दी गई थी बोधवती उक्त दर्ज अराजियात स्वयं नहीं चाहती थी क्यों कि वह ससुराल में रहती थी पति बच्चे सभी थे भविष्य में पति बच्चे आदि लालचवश कहीं उक्त आराजियात में अपना हक न जताने लगें, इसलिये बोधवती यह चाहती थी कि उनके नाम दर्ज आराजियात उनके भाई गिरजा शरण के नाम हो जाये, जिसके संबंध में उन्होंने गिरजा शरण से कहा तत्पश्चात गिरजा शरण द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय में नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बोधवती को तलब किया गया इस्तहार जारी किया गया व प्रकरण में पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। चंकि आवेदन में अभिलेख दर्ज अराजियात अनावेदक की बहन बोधवती को नाम ग्राम बरती खसरे में लेख था इसलिये अनावेदिका बोधवती को नोटिस ग्राम बरती के पते पर भेजा गया। बरती की जमीन होने से इश्तहार का

प्रकाशन भी स्थानीय ग्राम में किया गया व इश्तहार का प्रकाशन अन्य स्थान पर भी किया गया। चूंकि बोधवती ग्राम बर्ती में ही रहती थी इसलिये सम्मन की तामील ग्राम बर्ती में हुई और सम्मन बोधवती पर तामील हुआ। अनावेदक अधिवक्ता का लेख है कि बोधवती के पति कौशल प्रसाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के 7 माह पश्चात अपील प्रस्तुत की, किन्तु विलंब मांफी का न तो कोई आवेदन पेश किया न ही समर्थन में कोई शपथ पत्र दिया। अंत में अनावेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जाकर अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 1.5.14 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रस्तुत लेखी बहस का अध्ययन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि इश्तहार का आदेश दिनांक 2.8.06 को दिया गयां पटवारी प्रतिवेदन चाहा गया। दिनांक 14.9.06 के आदेश पत्रिका के अवलोकन से विदित है कि न्यायालय में बोधवती स्वतः उपस्थित रही। तहसील न्यायालय के आदेश पत्रिका दिनांक 14.9.06 में यह लेख है कि आवेदक गिरिजा शंकर अनावेदिका बोधवती आवेदक साक्षी संतोष कुमार उपस्थित। आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत । आवेदिका आवेदक के पक्ष में नामांतरण हेतु सहमत। मेरे पति व पुत्र का इसमें कोई अधिकार नहीं है। बोधवती ने अपने कथन दिनांक 14.9.06 में भी उपरोक्त भूमि अपने भाई के नाम करने की सहमति दी है तथा यह भी लेख किया है कि उपरोक्त संपत्ति गिरिजाशरण के नाम कर दी जाय। स्वतंत्र गवाह संतोष द्वारा भी उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया है, पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 21.9.06 में ही यह लेख है कि उपरोक्त भूमि के अभिलेख स्वामी बोधवती पिता अयोध्या प्रसाद है तथा मौके पर गिरिजाशरण कई अर्सा पूर्व से काबिज है तथा लगान भुगतान करते है। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना द्वारा शपथ पत्र को फर्जी बताया गया है जबकि उनके द्वारा शपथ पत्र के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं लिये गये हैं न ही अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना द्वारा साक्षियों का पुनः परीक्षण किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना ने सूचना का तामील को अवैध बताया हैं जबकि आवेदिका स्वयं न्यायालय में उपस्थित है हितबद्व पक्षकार की सुनवाई होने के

उपरांत आदेश पारित किया गया है इस्तहार का प्रकाशन किया गया तथा पक्षकार उपस्थित हुये, क्यों कि आवेदिका ही हितबद्व पक्षकार थी। अन्य किसी को आपत्ति करने का अधिकारी नहीं था। अतः परीक्षण में यह पाया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा शपथ पत्र कथन सहमति के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही की गई जो विधि अनुरूप थी। इन सब की विवेचना अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश में की गई है इससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना का आदेश दिनांक 27.02.09 निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश उचित होने से स्थिर रखने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 230/अपील/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2014 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर